



2026:AHC:13916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 45521 सन् 2025

राजेश कुमार एवं अन्य

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: सुनील कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचीगण ने वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है:-

(i) प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 को परमादेश की प्रकृति का लेख, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 से 8 को गाटा संख्या 1329म, क्षेत्रफल 0.0110 हेक्ट., के पट्टे पर शान्तिपूर्वक कब्जे/निर्माण में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया जाए;

2. आज जब यह विषय सुनवाई के लिए लिया गया, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई कि याची को निजी प्रतिवादियों के कार्य से व्यथा हो रही है, इसलिए उसने प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के विरुद्ध राहत मांगी है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अन्तर्गत रिट याचिका निजी व्यक्तियों के विरुद्ध विचारणीय नहीं है। यदि याची निजी व्यक्तियों के कार्य से व्यथित है, तो उसके पास अपनी शिकायतों के निवारण हेतु साधारण विधि का उपाय उपलब्ध है।

3. इस दृष्टिकोण से, वर्तमान याचिका इस स्वतन्त्रता के साथ खारिज की जाती है कि याचीगण साधारण विधि का उपाय अपना सकते हैं, यदि वे उचित समझें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

सक्रलैन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।